BC Health Regulators

Our Purpose, Your Safety

नियंत्रक कॉलेजों

College of Chiropractors of BC

College of Dental Hygienists of BC

College of Dental Surgeons of BC

College of Dental Technicians of BC

College of Denturists of BC

College of Dieticians of BC

College of Licensed Practical Nurses of BC

College of Massage Therapists of BC

College of Midwives of BC

College of Naturopathic Physicians of BC

College of Occupational Therapists of BC

College of Opticians of BC

College of Optometrists of BC

College of Pharmacists of BC

College of Physical Therapists of BC

College of Physicians and Surgeons of BC

College of Podiatric Surgeons of BC

College of Psychologists of BC

College of Registered Nurses of BC

College of Registered Psychiatric Nurses of BC

College of Social Workers of BC

College of Speech and Hearing Health Professionals of BC

College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of BC

यदि आपको कोई समस्या है

यदि आपको किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के व्यवहार के बारे में कोई शिकायत है तो सबसे पहले आपको अपनी समस्या के बारे में उस व्यक्ति के साथ बात करने के बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि कई बार समस्या का कारण गलतफ़हमी या अधूरी जानकारी होता है। यदि इसके बाद भी आप असंतुष्ट हों और वह पेशावर किसी संस्था, जैसे अस्पताल, में काम करता हो, तो आप उस संस्था के इंचार्ज से बात कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई संस्था नहीं है अथवा यदि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकती तो आप किसी उचित नियंत्रक संस्था से संपर्क कर सकते हैं। यह संस्था आपको देखभाल के उन मानकों के बारे में जानकारी दे सकती है जिनकी आप प्रदाता से आशा कर सकते है और यदि उन मानकों की पालना नहीं होती तो आप क्या कर सकते हैं।

नियंत्रक संस्था क्या कर सकती है

अपने किसी सदस्य के बारे में शिकायत मिलने पर नियंत्रक संस्था उसके विरुद्ध कारर्वाई कर सकती है। इसमें भली-भांति पूछताछ करना और, जरूरत पड़ने पर, औपचारिक जांच करवाना शामिल हो सकते है। यदि यह पाया जाता है कि किसी पेशेवर ने अनुचित व्यवहार किया है तो संस्था चेतावनी दे सकती है, सहायता का कोई संचालित कार्यक्रम पूरा करने को कह सकती है, या उसका प्रैक्टिस करने का अधिकार मुअत्तल कर सकती है या रद्द कर सकती है। कुछ संस्थाए जुर्माना भी करती हैं।

नियंत्रक संस्था क्या नहीं कर सकती

उसको यह अधिकार नहीं है कि यदि किसी का कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए हरजाने का आदेश दे सके। वह कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकती कि किसी संस्था को अपने किसी यहां रखे हुए किसी पेशेवर को किस प्रकार नियंत्रित अथवा अनुशासित करना चाहिए।

शिकायत करना

यदि आप औपचारिक शिकायत करना चाहते है तो उपयुक्त नियंत्रक संस्थाओं के लोगों से संपर्क करें। वे आपको सलाह दे सकते हैं। आपको अपनी शिकायत लिखित रूप में देने के लिए और उस पेशेवर का नाम, उसके काम करने की जगह, वे कार्यकलाप जिनके बारे में आपको शिकायत है तथा यदि आपके समर्थन में कोई दस्तावेज़ हैं तो वह सब कुछ बताने के लिए कहा जा सकता है। आपको अपने बारे में भी बताना चाहिए ताकि मामले की अच्छी तरह जांच की जा सके। यदि आप नियंत्रक संस्था द्वारा की गई कारर्वाई से संतुष्ट नहीं हैं तो हो सकता है कि आप उसके विरुद्ध विभिन्न संस्थाओं के ज़रिए अपील कर सकते हों जिनमें स्वास्थ्य पेशा समीक्षा बोर्ड, ओम्बडसपर्सन तथा ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हैं।